हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in   Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन — संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)
माननीय श्री अशोक कुमार सिंह — संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)
माननीय श्री भागीरथ शर्मा — संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78668

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 52610   दिनांक : 31/08/20

श्रीमान अशोक गहलोत साहेब,
माननीय मुख्यमंत्री,राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय— किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अजा/अजजा कार्मिकों को सामान्य पद पर पदोन्नति देना न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है भारतीय दण्डसंहिता की धारा 166 एवं 167 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आप यह भली भांती जानते हैं कि किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेकर किसी भी सेवा—संवर्ग में चयनित होने वाले या पदोन्नति पाने वाले अजा/अजजा कार्मिकों को सामान्य पदों पर पदोन्नत करने की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन है, संवैधानिक प्रवधानों का उल्लंघन है, ओ.बी.सी/सामान्य वर्ग के पात्र एवं कर्मठ लोकसेवकों के साथ अन्याय है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 166 एवं 167 के अधीन दंडनीय अपराध है। दुर्भाग्य से राज्य सरकार के कुछ अधिकारी अविधिक बाह्य कारणों से प्रेरित होकर पात्र एवं योग्य ओ.बी.सी/सामान्य वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नतियां रोककर उनके पदों पर अपात्र एवं अयोग्य अजा/अजजा वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नतियां कर रहे हैं। सामान्य लोक—प्रशासन में भ्रष्टाचार, अत्याचार, जातिवाद, एवं अकार्यकुशलता को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जातिवादी राजनिति करने वाले अजा/अजजा कार्मिक नेताओं द्वारा जातिगत वोटों का भय दिखाकर प्रदेश के राजनेताओं को और उनके मार्फत उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को भेड़—बकरियों की तरह हांका जा रहा है। आप कृपया निम्न न्यायिक निर्णयों, विधिक प्रावधानों, संवैधानिक प्रावधानों एवं तथ्यात्मक स्थिति का अवलोकन करें:—

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आर. के. सभरवाल के प्रकरण में दिये गये निर्णय एवं इसकी अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा रोस्टर रजिस्टर संधारण के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एक बार रोस्टर में अजा/अजजा के लिए आरक्षित रोस्टर पॉइन्ट आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से भर जाने के बाद रिप्लेसमेंन्ट सिद्धान्त को लागू किया जाना अनिवार्य है। अतः अजा/अजजा के रोस्टर पाइंट भर जाने के बाद आरक्षण का लाभ लेकर सेवा में आये अजा/अजजा के किसी भी लोकसेवक को सामान्य/ओबीसी वर्ग के रोस्टर पाइंट्स पर किसी भी सूरत में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। कृपया उपरोक्त संविधान पीठ के निर्णय का पैरा—6 का अवलोकन करें जिसके संबंधित अंश आपकी ताजा संदर्भ के लिए यहाँ दिये जा रहे हैं:—

"6. We see considered force in the second contention raised by the learned counsel for the petitioners. The reservations provided under the impugned Government instructions are to be operated in accordance with the roster to be maintained in each Department. The roster is implemented in the form of running account from year to year. The purpose of "running account" is to make sure that the Scheduled Castes/Schedule Tribes and Backward Classes get their percentage of reserved posts. The concept of "running account" in the impugned instructions has to be so interpreted that it does not result in excessive reservation………. Therefore, the only way to assure equality of opportunity to the Backword Classes and the general category is to permit the roster to operate till the time the respective appointees/promotees occupy the posts meant for them in the roster. The operation of the roster and the running account" must come to an end thereafter. The vacancies arising in the cadre after the initial posts are filled, will pose no difficulty. As and when there is a vacancy whether permanent or temporary in a particular post the same has to be filled from amongst the category to which the post

(लगातार—— 2)

belonged in the roster. For example, the Scheduled Caste persons holding the posts at roster- points 1, 8, 15 retire, then these slots are to be filled from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes. Similarly, if the persons holding the post at points 8 to 14 or 23 to 29 retire then these slots are to be filled from among the general category. By following this procedure there shall neither be short-fall nor excess in the percentage of reservation."

(2) राज्य सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णय की पालना के लिए अधिसूचना दिनांक 20.11.1997 को जारी करके सभी विभागीय प्रमुखों को "पोस्ट बेस्ड रोस्टर सिस्टम विद इनबिल्ट रिप्लेशमेंट सिद्धान्त" के अनुसरण बाबत पाबन्द कर दिया था।

(3) राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2011 जारी करके सभी विभागीय प्रमुखों को बाध्यकारी निर्देश दिये गये थे कि यह सुनिश्चित किया जावें कि कहीं भी किसी सूरत में अजा/अजजा के लोकसेवकों की संख्या उनके रोस्टर पाइंट से अधिक नहीं हो। यदि दिनांक 11.09.2011 से पहले किसी कारणवश यह अधिक हो गये हैं तो तत्काल एडहोक कर दिया जावें। स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार अजा/अजजा वर्ग के लोकसेवकों की संख्या किसी भी सूरत में रोस्टर पाइंट्स से अधिक नहीं होने की पाबंदी लगा दी गई थी।

(4) The Notification dated 11.9.2011 speaks about restricting SC/ST Employees on their SC/ST roster points and it prohibits promotion of SC/ST employees on unreserved roster points in any eventuality. The Notification dated 11.9.2011, was based upon the Government of Rajasthan Committee for Promotion Report submitted on 19th August, 2011, under the Chairmanship of Shri K.K. Bhatnagar, Retired IAS. The relevant extract from Bhatnagar Committee Report from Page No. 40 to 42 is reproduced as under :

"10.11.1. Absence of Rule to regulate excess appointment of SC/ST against unreserved vacancies.

There is no corresponding provision in the rules to regulate appointment in excess of reserved quota of SC and ST candidates on the lines of the rule 8(4) of the RAS to regulate appointment of general candidates to reserved vacancies.

10.11. 2 Circulars Issued by State Government.

In fact even before the 1997 circular totally changing the system of maintenance of Rosters the government had issued two more circulars i.e., on 26.5.1995 and 17.6.1996, making it very clear that promotion of reserved category candidates should not exceed the prescribed percentage. It is therefore surprising that in later circulars issued on 20.10.2000 and 24.6.2008 (Annexure VI) this was permitted in certain situations without any corresponding provision in the rules.

Circular Number 15(24) DOP/A-11/75-3 dated 20.10.2000

The contents of this circular making SC and ST candidates eligible for promotion against general category posts do not reflect the correct prevailing legal situation since as many as four judgments of the Supreme Court had already declared this as in valid. These were the Indra Swahney case on 16.11.92. RK Subherwal case on 10.2.95. Ajit Sikngh I case on 1.3.96 and Ajit Singh II case on 16.9.99. Moreover, the 85th Constitutional Amendment was passed by the parliament on 4.1.2000, though it was made enforceable from 17.6.95. The position of rules till date is also clear since this enabling power has not been codified by the state in its rules.

Circular no. F15(24) DOP/All/75 dated 24.6.2008

This is an exhaustive printed circular of 26 pages covering almost all aspects relating to reservation in government service. Right now we are concerned only with para 7.1 and 7.2 relating to the issue of eligibility of reserved candidates for promotion against general category posts. As clarified in the circular itself (Para 71.) a candidate belonging to SC/ST selected for appointment on his merit in direct recruitment against other category post, shall continue to be so counted in the general category even for promotion provided he had not availed of any benefit of reservation in

(लगातार—— 3)

direct recruitment and promotion, other then the concession relating to examination fees. As soon as such a person takes benefit of promotion against a reserved post, he will be counted against the SC/ST quota. However, the same circular in its next paragraph (7.2) goes on to say that "after the 85" Amendment and the subsequent change in the service rules (Rule not indicated), SC/ST category candidates will get consequential benefit of promotion by virtue of reservation. Therefore, even if SC/ST quota of promotion is full, a SC/ST candidate (who is otherwise suitable for promotion) is to be promoted against a non-reserved post, in case he is senior than a non-reserved candidate. However, he will be counted against the SC/ST quota and adjustment will be made»as soon as possible to remove the excess." It is not clear that as opposed to the urgent temporary appointment of general candidates against reserved category posts which can be remedied as and when a reserved category person became available, how this excess can be adjusted. In fact, in view of the above ambiguous position and absence of any provision in rules, both these circulars are of doubtful legal validity and the DOP should at the earliest take legal opinion about their continuation. **To the committee, as on date, these are in clear violation of the principles laid down in Sabherwal case for operating the Rule of Roster, which have been reaffirmed by the Three Member Bench in Ajit Singh case.**

"In respect of those members of the SC and St, who have been appointed/ promoted on basis of reservation and roster, it has been said in clear and unequivocal terms the running account shall stop after the quota provided under the instructions is reached and the roster can not be operated thereafter. In other words, there is no question of promoting further number of such candidates who have been appointed/promoted on the basis of reservation and roster." (SCC 1996 P-727 – Ajit Singh Januja V/s State of Punjab)

(Continuation of this practice would further amount of violation of the principles laid down in Nagaraj case and reaffirmed in the judgment of the Hon. SC dated 7.12.2010 since the representation in those cases could be no stretch of imagination could be considered to be inadequate."

"16. Summary of findings and recommendations.

Findings

16.1 ……..

16.2 ……..

16.3 …….

16.4. Filling up of Unreserved Posts by SC and ST

The committee has noticed cases in which SC and ST candidates have been appointed in excess of the reserved quota against unreserved posts and recommended that these should be reviewed by the competent authority for appropriate action. (Section 10.7.3)

16.5. Certain Provisions in Circular Dated 24.6.08 of the DOP Need to be Reconsidered and revised Para7.2. of the circular permits such promotion without any provision in rules and needs to be amended (Section 10.7.3.2.)"

(5) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2017 के अनुसार आरक्षित वर्ग का कोई भी कर्मचारी यदि फीस के अलावा किसी भी स्तर पर कोई भी आरक्षण का लाभ या छूट प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी सूरत में कभी भी सामान्य पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमोदित किया जा चुका है।

(6) नियुक्ति के समय आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले अजा/अजजा के कार्मिकों को परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का कोई भी प्रवधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में नही है। इसके विपरीत अनुच्छेद 16(4)a में आरक्षण का लाभ ले कर पदोन्नति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को कुछ शर्तों के अधीन पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का प्रावधान अनुच्छेद 16(4)a में किया गया है। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ देने की कोई मंशा नहीं है।

(लगातार—— 4)

Y. Tam

(7) यह अविवादित तथ्य है कि अनुच्छेद 16(4) में नियुक्ति के समय पारिणामिक वरिष्ठता का कोई प्रावधान नहीं हैं। यह भी स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16(4)(a) के अधीन पदोन्नति में आरक्षण के समय भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ केंवल उसी स्थिति में दिया जा सकता है जब कि संख्यात्मक आंकडों से sc/st का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रमाणित कर दिया जावे। ऐसी स्थिति में यदि एक बार यह मान भी लिया जावे कि अनुच्छेद 16(4) में संशोधन करके "परिणामिक वरिष्ठता" शब्द जोड दिया जायेगा तब भी sc/st को सामान्य पदों पर पदोन्नत करने के लिए नियुक्ति की परिणामिक वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा सकता हैं क्योंकि सामान्य पदों पर उन्हें पदोन्नति का प्रश्न स्वतः ही इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि sc/st का कोटा पूरा हो चुका है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व पूरा होने पर किसी भी प्रकार से किसी भी sc/st कार्मिक को पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा भी अनेक प्रकरणों में बार–बार मनाही की गयी है। एम. नागराज, रोहताश भांखर, जरनैल सिंह आदि के प्रकरणों में संविधान पीठों द्वारा दिये गये निर्णयों के अलावा यूपी पॉवर कारपोरेशन, सूरजभान मीणा आदि अनेक प्रकरणों में खण्डपीठों के निर्णयों में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि sc/st कार्मिक का यदि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो संविधान संशोधन द्वारा पारिणामिक वरिष्ठता दिये जाने का प्रावधान उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता है अर्थात पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने पर sc/st कार्मिक को किसी भी सूरत में पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

(8) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **<u>K. Manorama Vs. Union of India (UOI) and Ors.</u>** (2010)10 SCC 323] के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है कि आरक्षित वर्ग के लिए **own merit** या **own seniority** का सिद्धांत किसी सेवा में प्रवेश **(Recruitment)** के समय सामान्य पद पर आने के लिए ही लागू हो सकता है। आरक्षित सीट पर चयनित होने वाले कार्मिकों को सामान्य पदों पर पदोन्नत करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय के पैरा 14 के आवश्यक अंश ताजा संदर्भ के लिए यहां दिये जा रहे हैः–

"14. .... Even otherwise, **the principle that when a member belonging to a Scheduled Caste gets selected in the open competition field on the basis of his own merit, he will not be counted against the quota reserved for Scheduled Castes, but will be treated as open candidate, will apply only in regard to recruitment by open competition and not to the promotions effected on the basis of seniority-cum-suitability."**

(9) आरक्षण का लाभ लेकर किसी सेवा में चयनित हो कर प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को यदि सामान्य पदों पर पदोन्नति दी जाती है तो यह उनके निश्चित कोटे से अधिक हो जायेगा जो **excessive reservation** और **reverse** discrimination होने के कारण माननींय सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान पीठों द्वारा इन्द्रा साहनी के प्रकरण में, एम. नागराज के प्रकरण में रोहिताश भॉखर के प्रकरणो में, जरनैल सिंह एवं अन्य के प्रकरण में बार बार मना किया गया है। इन्द्रा साहनी एवं एम.नागराज के निर्णयों के आवश्यक अंश यहां ताजा संदर्भ के लिए दिये जा रहे हैं–

(A) **<u>Indra Sawhney and Ors. Vs. Union of India (UOI) and Ors.</u>** [1992 Supp (3)SCC217] के पैरा 121(2)(c) **Reservations can also be provided under Clause (1) of Article 16. It is not confined to extending of preferences, concessions or exemptions alone. These reservations, if any, made under Clause (1) have to be so adjusted and implemented as not to exceed the level of representation prescribed for 'backward class of citizens' - as explained in this Judgment. (Para 60)**

(B) **<u>M. Nagaraj and Ors. Vs. Union of India (UOI) and Ors.</u>** [(2006)8 SCC 212] के <u>पैरा 37</u>.......... Balancing comes in where the question concerns the extent of reservation. **If the extent of reservation goes beyond cut-off point then it results in reverse discrimination**. Antidiscrimination legislation has a tendency of pushing towards de facto reservation. Therefore, a numerical benchmark is the surest immunity against charges of discrimination.

(लगातार---- 5)

पैरा **79** ---**What is in issue is the extent of reservation. If the extent of reservation is excessive then it makes an inroad into the principle of equality in Article 16(1). Extent of reservation, as stated above, will depend on the facts of each case. Backwardness and inadequacy of representation are compelling reasons for the State Governments to provide representation in public employment. Therefore, if in a given case the court finds excessive reservation under the State enactment then such an enactment would be liable to be struck down since it would amount to derogation of the above constitutional requirements.**

(10) आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुऐ कार्मिकों को उच्च पदों पर अजा/अजजा रोस्टर बिन्दुओं के भरे हुऐ होने के बावजूद सामान्य पदों पर पदोंन्नति देने का सीधा सा मतलब है कि इन अजा/अजजा कार्मिकों की नियुक्ति उस कैडर विशेष/सेवा विशेष में अजा/अजजा का प्रर्याप्त प्रतिनिधित्व अथवा पूरा कोटा होने के बावजूद आधिक्य अथवा **Excessive reservation** के रूप में कि गई थी जिसका राज्य सरकार को कोई संविधानिक या विधिक अधिकार नहीं था।

यह सर्वविदित संवैधानिक तथ्य है कि नियुक्तियों या पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान केवल एक समर्थनकारी प्रावधान **(enabling provision)** हैं जो केवल अजा/अजजा के उस कैडर/सेवा विशेष में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने पर ही राज्य को उन्हें आरक्षण देने का अधिकार प्रदान करता है अन्यथा नहीं। इस विधिक एवं संवेधानिक स्थिति से यह प्रमाणित होता है कि अजा/अजजा के जो कार्मिक सामान्य पदों पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, वे अविधिक रूप से आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने के कारण नौकरी से बर्खास्त किये जाने योग्य हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अविधिक रूप से आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुए अजा/अजजा के कार्मिक नियुक्ति के समय सामान्य/ओ.बी.सी. अभ्यर्थियों का हक छीनने के बाद अब पदोन्नति के समय भी सामान्य/ओ.बी.सी. कार्मिकों को पुनः अविधिक नुकसान पहुंचाने को आमादा हैं।

उपरोक्तानुसार विधिक, संवैधानिक, तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर आपसे प्रार्थना हैं कि किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले अजा/अजजा वर्ग के कार्मिकों को सामान्य पदों पर पदोन्नति को सख्ती से रोका जाये। उपरोक्त प्रावधानों को सख्ती से लागू करवाया जाये। जो अजा/अजजा के कार्मिक सामान्य पदों पर पदोन्नति के लिए उपरोक्त प्रवधानों का उल्लन्घन करते हुए किसी भी प्रकार प्रयास करते हैं, विधायकों/मंत्रियों/अधिकारियों पर जातिगत दबाव बनाते हैं, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करवाई जावे। उनकी नियुक्ति के समय अजा/अजजा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के बावजूद उन्हें अविधिक रूप से आरक्षण का लाभ देकर (देखें पैरा–10) नियुक्त किये जाने के कारण इनकी सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही करवाई जावे।

हमारे द्वारा एवं अनेक पीड़ित कार्मिकों द्वारा राज्य सरकार को अनेक बार उपरोक्तानुसार ज्ञापन दिये जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। कर्मठ एवं समर्पित ओबीसी/सामान्य वर्ग के कार्मिकों के साथ लगातार अन्याय जारी है। आपेस प्रार्थना है कि आप अपने स्तर पर संज्ञान लेकर सामान्य/ओबीसी कार्मिकों को तत्काल न्याय दिलवाने की कृपा करें।

सकारात्मक त्वरित कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद। सादर,

भवदीय

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष